

राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सौड़ भट्टगांव से क्याक-फलासी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 7.00 किमी०

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग के अधीन निर्मित होने वाले जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सौड़ भट्टगांव से क्याक-फलासी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 7.00 किमी० के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर कोई राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।


वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि


उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सौड़ भट्टगांव से क्यार्क-फलासी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 7.00 किमी०

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम पंचायत क्षेत्र के कोई आपत्ति नहीं है। यह कोई जनहित में किया जा रहा है।
संलग्न है।

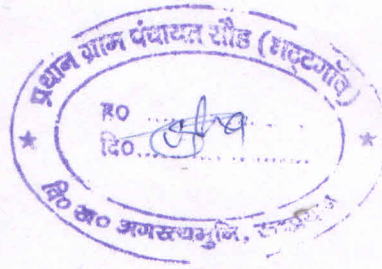


प्रधान/सरपंच



अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सौड़ भट्टगांव से क्यार्क-फलासी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु जो भी वन पंचायत की जो भी भूमि प्रभावित होगी, उस पर ग्रामीणों की कोई आपत्ति नहीं है एवं प्रभावित होने वाली वन पंचायत की भूमि सभी ग्रामीण जनहित में सहर्ष देने को तैयार हैं।



दिनांक १२/०५/२०१८
मदरस्य दे० प० बावई वाड २०
वि० अ० अगस्त्यमुनि (रुद्रप्रयाग)



- ① हरेन्द्रसिंह गुलांड *हरेन्द्र*
- ② *सुदरस्य दे० प० बावई वाड २०*
- ③ *वि० अ० अगस्त्यमुनि*
- ④ *रुद्रप्रयाग*
- ⑤ *पुष्कर सिंह*

समस्त ग्रामवासियों की ओर से अनापत्ति (एन.ओ.सी.)

समस्त ग्रामवासियों की आम बैठक में सर्व सम्मति से सहमति तय हुई है कि वर्तमान समय में बाकई ग्रामसभा से फलासी ग्राम तक सड़क मार्ग सुविधा होनी चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार से किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, उक्त विषय में पहले ही सरकार और विभाग को दोनों ग्राम सभा की ओर से प्रस्ताव एवं अनापत्ति दे दी गई थी।

अतः सरकार एवं विभाग से ग्रामसभा प्रधान फलासी एवं समस्त ग्रामवासी अनुरोध करते हैं कि जन सुविधा हेतु सड़क मार्ग निर्माण कार्य अति शीघ्र शुरू किया जाय।

अध्यास पुष्पादेवी

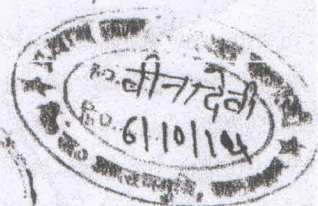
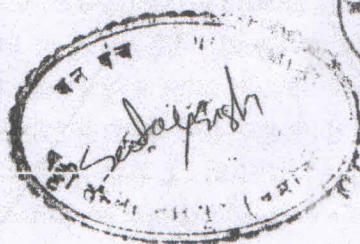
महिला मंगल दल फलासी
जलपट - म.प्र.नाम

6/10/14

सदस्य

जिला पंचायत रुद्रप्रसाद
(उत्तराखण्ड)

ग्राम सभा फलासी
प्रधान



अनापात प्रमाण पत्र

6513 63

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम कोर्बड कयकि फलासी
मोटर मार्ग के अधीन जो कन भूमि संज्ञक के
अन्तर्गत आ रही है, उक्त भूमि पर ग्राम फलासी
की कोई आपात नहीं है,

सदस्य-

- 1 - P. S. Mevji
- 2 - सुजन
- 3 - राहुल/लाल
- 4 - मन्त/...

Photocopy
Attested

for

सहायक अभियन्ता
प्रमुख लाठिनिठिठि
रुद्रप्रसाग

24/8/2015

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सौड़ भट्टगांव से क्याक-फलासी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 7.00 किमी०

प्रस्तावित परियोजना का ले आऊट प्लान एवं मदवार विवरण

प्रस्तावित मोटर मार्ग पर कुल 452 खेतों का पतन किया जाना है। परियोजना की कुल लागत 61.60 लाख है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग से ग्राम सभा सौड़ भट्टगांव, बावई एवं फलासी की कुल 2572 की जनसंख्या लाभान्वित होगी, परियोजना के निर्माण हेतु 1.400 हेक्टेयर वन पंचायत की भूमि एवं 3.500 हे० नाप भूमि तथा मत्परा निस्तारण हेतु 0.26.00 हेक्टेयर नापभूमि लो० नि० वि० को हस्तान्तरित की जानी है।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

अधिषासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

वन संप्रदायिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सौड़ भट्टगांव से क्याक-फलासी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 7.00 किमी०

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग


उप प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग